

मैनुअल – 17

अन्य उपयोगी सूचनायें आदि

(Other important information,s)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की

अन्य उपयोगी सूचनायें आदि

(Other important information's)

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय विकास की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1993–94 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाय विकास परियोजना कुमाऊँ व गढ़वाल मण्डल में मण्डलीय विकास निगमों के माध्यम से प्रारम्भ की गयी। अलग उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात चाय विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 फरवरी, 2004 को उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में (अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी) चाय विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में (माह जनवरी–2025 तक) बोर्ड द्वारा कुल 1385.11 हैक्टेयर (बोर्ड के अन्तर्गत 785.07 है, एस0सी0पी0 के अन्तर्गत 229.11 है, मनरेगा योजना के अन्तर्गत 370.94 है.) क्षेत्रफल में विकसित चाय बागानों कारखरखाव किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा लगभग 180.99 हैक्टेयर विकसित चाय बागान लीज अवधि पूर्ण होने एवं भू स्वामियों की माँगानुसार उन्हें स्वयं संचालन हेतु हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। बोर्ड द्वारा वर्तमान में कुल 29.98 लाख पौध की कटिंग व बीज नर्सरियों अनुरक्षित की जा रही हैं। जिनसे आगामी वर्षों में न्यू प्लान्टेशन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। चाय विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बोर्ड में 32 नियमित कार्मिक एवं 43 कार्मिक अनुबन्ध पर कार्य नियोजित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न बागानों में 3,899 कास्तकार तथा 3,180 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं जिसमें 60–70 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार प्राप्त है। बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के विकास खण्डों में क्लस्टर के रूप में लगभग 306 ग्राम पंचायतों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा अनुमानित प्रतिवर्ष 9.00 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये जा रहे हैं।

जैविक चाय की खेती :—उत्तराखण्ड शासन द्वारा देश-विदेश में जैविक चाय की माँग को दृष्टिगत रखते हुए जैविक चाय की खेती को जितना सम्भव हो सके प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है इस क्रम में चाय बागान नौटी (चमोली), चाय बागान घोड़ाखाल (नैनीताल) एवं चाय बागान चम्पावत (चम्पावत) को कुल 560 हैक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक चाय की खेती की जा

रही है। वर्तमान में उक्त चाय बागानों से जैविक चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनसे जैविक चाय तैयार की जा रही हैं।

चाय फैक्ट्रियों की स्थापना :—(1) बोर्ड द्वारा जैविक चाय पत्तियों की प्रोसेसिंग हेतु चाय बागान घोड़ाखाल (नैनीताल), चम्पावत (चम्पावत) एवं नौटी (चमोली) क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्वयं की छोटी चाय फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(2) बोर्ड द्वारा अजैविक चाय बागानों से प्राप्त हरी पत्तियों की प्रोसेसिंग हेतु एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत हरी नगरी, विकास खण्ड, गरुड़ (बागेश्वर) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्वयं की प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्थापित की गयी है जिसकी प्रतिवर्ष 75,000 किलोग्राम चाय तैयार करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त चाय बागान कौसानी के अन्तर्गत पिंगलकोट में निजी क्षेत्र की चाय फैक्ट्री को भी बोर्ड द्वारा संचालित कर तैयार चाय का उत्पादन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष2024–25 में माह जनवरी–2025 तक कुल 5,05,181 कि0ग्रा0 चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन कर बोर्ड की उपरोक्त सभी चाय फैक्ट्रियों में कुल 1,12,127किलोग्राम चाय तैयार कर स्थानीय बाजार एवं ऑक्शन कोलकता के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना :—बोर्ड द्वारा वर्तमान में एक आधुनिकतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भवाली (नैनीताल) में की गयी है अभी तक इस प्रयोगशाला के माध्यम से 9000 हैक्टेयर भूमि का मृदा परीक्षण कर 2500 हैक्टेयर भूमि का चयन किया जा चुका है यह भूमि 60 प्रतिशत निजी कृषकों की एवं शेष वन पंचायत/ग्राम सभाओं एवं विभागों की है। प्रयोगशाला द्वारा बोर्ड द्वारा चयनित भूमि का मृदा परीक्षण करने के अतिरिक्त अन्य विभागों व संस्थाओं तथा स्थानीय कास्तकारों द्वारा मृदा परीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी मिट्टी का भी मृदा परीक्षण किया जाता है। बोर्ड की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को भारतीय चाय बोर्ड कोलकता में पंजीकृत किया गया है।

टी टूरिज्म:—राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जिला प्रशासन नैनीताल के निर्देशन/सहयोग से चाय बागान घोड़ाखाल में चाय बागान पर्यटन विकास स्वायत्तत सहाकारिता समिति गठित कर चाय बागान में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से ₹0 40 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान, चाय फैक्ट्री का भ्रमण करवाने के साथ—साथ चाय उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उक्त संस्था के माध्यम से ही बागान परिसर में टी कैफे का निर्माण कर उक्त कैफे का संचालन निर्धारित वार्षिक किराये पर निजी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटक भ्रमण के दौरान जलपान करने के साथ—साथ बोर्ड द्वारा निर्मित चाय का स्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त जनपद बागेश्वर में टी टूरिज्म का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कौसानी चाय बागान के अन्तर्गत जिला प्रशासन बागेश्वर

एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से पर्यटकों के बागान भ्रमण हेतु ट्रैकिंग रूट, पथ प्रकाश व्यस्था, विश्राम स्थल, जलपान गृह, सुलभ शौचालय व पार्किंग आदि कार्यों हेतु कार्य प्रारम्भ हो चुका है। चाय बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से रु. 25.00 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान/फैक्ट्री भ्रमण के साथ-साथ उचित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं। जनपद चम्पावत में स्थापित चाय बागानों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन तथा अन्य जनपदों में भी टी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से बागानों में टी हट, टी कैफै, व्यू पॉइन्ट, सैल्फी पॉइन्ट, फूट पाथ आदि का निर्माण किया गया है। है। चाय बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से रु. 25.00 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान/फैक्ट्री भ्रमण के साथ-साथ उचित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसी प्रकार बोर्ड द्वारा अन्य जनपदों में स्थापित चाय बागानों के अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से टी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है।

रोजगार सृजन:- बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व संचालित उप-परियोजनाओं, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 6.40 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया जा रहा है, जिसमें 70-80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। चाय विकास योजना से जहाँ एक ओर कास्तकारों की निष्प्रोज्य पड़ी भूमि का सदुपयोग कर कास्तकारों की आर्थिक स्थिति/रहन-सहन में परिवर्तन हुआ है, वहीं दूसरी ओर नवयुवकों का पलायन भी रुका है। वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत कुल 3,899 स्थानीय कास्तकारों एवं 3,180 स्थानीय श्रमिकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार व लाभ प्राप्त हो रहा है।
